UPMH010034082026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम), महराजगंज,

पीठासीन अधिकारी– (VINOD KUMAR-V) **(H.J.S.) UP6290**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1065 / 2026

सूरज यादव उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र रामबचन यादव साकिन मौजा वार्ड संख्या 2, जगदीशपुर बनिया टोला, थाना फरेन्दा, जनपद महराजगंज।

––आवेदक / अभियुक्त

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य।

2–वादिनी मुकदमा / पीड़िता।

3–बाल कल्याण समिति, महराजगंज।

4–सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज।

––विपक्षीगण

मुकदमा अपराध संख्याः 143 / 2026

धाराः 137(2),64 बी0एन0एस0

व धाराः 3 / 4 पॉक्सो ऐक्ट

व धाराः 3(2)(V) एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट

थानाः फरेन्दा, जनपदः महराजगंज

11.08.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त सूरज यादव द्वारा मुकदमा अपराध संख्याः 143 / 2026, धाराः 137(2), 64 बी0एन0एस0 व धाराः 3 / 4 पॉक्सो ऐक्ट व धाराः 3(2)(V) एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट, थानाः फरेन्दा, जनपदः महराजगंज के मामले में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उक्त मुकदमा में गलत, झूठा एवं फर्जी तौर पर फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना के कई महीने पहले प्रार्थी मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मुम्बई चला गया था, गांव के चन्द विरोधियों के साजिश व प्रभाव में आकर वादिनी ने प्रार्थी के विरूद्ध उक्त फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया है। उक्त घटना से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। पीड़िता पूर्ण व्यस्क महिला है उससे माता बहुत काम करवाती थी काम करने में यदि कोई कमी हो जाती थी तो उसे बहुत मारती पीटती थी माता द्वारा मारने पीटने से तंग आकर आचल कहीं चली गयी थी अपने आप घर वापस आयी तो रंजिश के कारण उक्त मुकदमा फर्जी तौर पर प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी तौर पर दर्ज करा दी। प्रार्थी को मुम्बई से पुलिस ने फोन करके बुलाया तो प्रार्थी घर आया, रंजिश के कारण प्रार्थी को उक्त मुकदमा में फर्जी तौर पर चालान कर दिया गया। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं में कोई जुर्म आयत नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से

स्पष्ट है कि मुकदमा काफी बिलम्ब से दर्ज कराया गया है तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि मुकदमा अंतर्गत धारा 137(2) व 61(2) बी.एन.एस. में पंजीकृत हुआ किन्तु दौरान विवेचना धारा 61(2) बी.एन.एस. को विलोपित कर उसके स्थान पर धारा 64 बी.एन.एस. को स्थापित किया गया। प्रार्थी का श्रीमान जी के न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा श्रीमान जी के न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उक्त के वावत कोई जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा खारिज ही किया गया है न तो लम्बित है। प्रार्थी इज्जतदार संभ्रान्त व्यक्ति है जमानत से छूटने के बाद भागने की कोई आशंका नहीं है तथा अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3— राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, (पॉक्सो) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि केस डायरी पर सूचनाकर्ता सहित आवश्यक गवाह व पीड़िता का साक्ष्य उपलब्ध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध लैंगिक अपराध है और अवयस्क पीड़िता के विरूद्ध कारित किया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

4— संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा की लड़की पीड़िता उम्र 15 वर्ष सूरज के घर आती जाती थी। सूरज की बहन से दोस्ती थी। उसे शंका है कि उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 15 वर्ष को बहला फुसला कर दिनांक 27.05.2026 को समय 8.30 रात्रि को भगा ले गया है। भगाने में सूरज के परिवार का सहयोग है।

5— मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, (पॉक्सो) को सुना तथा केस डायरी व थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा के अनुसार उसकी लड़की पीड़िता उम्र 15 वर्ष सूरज के घर आती जाती थी। सूरज की बहन से दोस्ती थी। उसे शंका है कि उसकी पुत्री को बहला फुसला कर दिनांक 27.05.2026 को समय 8.30 रात्रि को भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि ''मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष है। दिनांक 27.5.2026 को सूरज मुझे घर से लेकर गोरखपुर ले गया था। गोरखपुर स्टेशन के बगल सुनसान जगह पर मेरे साथ गलत काम किया फिर वहां से मैं ट्रेन पड़कर फरेंदा आ गई। वहां से ट्रेन पकड़कर लखनऊ चली गई। वहीं पर इधर–उधर रही। दिनांक 18.06.2026 को वापस घर/स्टेशन आ गई। पीड़िता ने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में यह कथन किया है कि ''उम्र 16 वर्ष है। 3 साल से अपने मामा के घर डडवाल बुजुर्ग फरेंदा में रह रही हूं। यहीं रह के पढ़ती हूं। सूरज को 3 महीने से जानती हूं। वह अपनी छत पर

था। मैं नीचे थी तो वह अपना नंबर फेंका। मैं बात करने लगी। मेरे मामा के घर के बगल में रूम लेकर रहता है। सूरज की बहनों से मेरी दोस्ती थी तो मैं सूरज के घर आती थी। 27 मई 2026 को रात को 11:00 बजे की है घर पर मेरी मम्मी थी मैं बाहर टहल रही थी। सूरज जूता पहनकर दौड़ दौड़ आया कहा कि मेरे साथ चलो सरप्राइज है। मुझे लेकर कर फरेंदा से ट्रेन में गोरखपुर ले गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पीछे कूड़े झाड़ झंकाड में लेकर गया। वहां मेरे साथ गलत काम किया। अपना पैंट निकाल दिया। मेरा पैंट निकल कर गलत किया। नीचे की बडी को टच किया ऊपर की बडी पार्ट को नहीं टच किया। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था। मुझे छोड़कर सूरज चला गया। मैं गोरखपुर से ट्रेन लेकर लखनऊ चली गई स्टेशन पर भीख मांग कर खाती थी पैसा जुटाकर 18 जून 2026 को ट्रेन से आई थी। सूरज से शादी नहीं हुई है। विशेष लोक अभियोजक की ओर से जोर देते हुए तर्क दिया गया कि पीड़िता के शैक्षिक अभिलेख में उसकी जन्मतिथि 15.02.2010 अंकित है जिससे प्रथम दृष्टया पीड़िता घटना के समय बालक दर्शित है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से घटना का वर्णन करते हुए आवेदक द्वारा उसे ले जाने व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कथन किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रकरण अवयस्क पीड़िता जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित है, को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने से सम्बन्धित है जो अत्यधिक गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7— आवेदक/अभियुक्त सूरज यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांकः 11.08.2026</u>

(विनोद कुमार—V)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6290
अपर सेशन न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय
(पॉक्सो अधिनियम), महराजगंज।

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2026.08.11 16:47:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court